परिशिष्ट - अ

म० प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237

(ख) ग्राम के निवासियों द्वारा उनके वास्तविक घरेलू उपभोग के लिए –
(एक) वन उपज का;
(दो) गौण खनिजों का मुफ्त ले जाया जाना;

(ग) ग्राम के शिल्पकारों को, खंड (ख) में विनिर्दिष्ट की गई वस्तुएँ, उनकी शिल्पकारी के प्रयोजन के लिए ले जाए जाने के लिए दी जाने-वाली रियायत।

टिप्पणी

अ. शक्तियाँ प्रदत्त – इस धारा के अधीन कलेक्टर की शक्तियाँ सहायक भू-अभिलेख अधिकारियों को प्रदान की गई हैं। धारा 24 के अंतर्गत टिप्पणी आ (4) देखिए।

237. निस्तार-अधिकारों के प्रयोग के लिए कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक् रखा जाना – (1) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर दखलरहित भूमि को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पृथक् रख सकेगा, अर्थात् :–

(क) इमारती लकड़ी या ईंधन के लिए आरक्षित क्षेत्र के लिए;
(ख) चारागाह, घास, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित क्षेत्र के लिए;
(ग) कब्रस्तान तथा श्मशान भूमि के लिए;
(घ) गोठान के लिए;
(ङ) शिविर भूमि के लिए;
(च) खलिहान के लिए;
(छ) बाजार के लिए;
(ज) खाल निकालने के स्थान के लिए;
(झ) खाद के गड्ढों के लिए;
(ञ) पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यानों, सड़कों, गलियों, नालियों जैसे तथा उसी प्रकार के लोक प्रयोजनों के लिए;
(ट) किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाएँ।

(2) [1][लुप्त]

(3) [2][इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर, उपधारा (1) के खंड (ख) में वर्णित भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात्, उपधारा (1) में वर्णित ऐसी दखल रहित भूमि को आबादी सड़कों, राजमार्गों, नहरों, तालाबों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, गौशालाओं के निर्माण या अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओं के लिए, जैसी की राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाए, व्यपवर्तित कर सकेगा;

परन्तु उपधारा (1) में वर्णित प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई भूमि किसी भी व्यक्ति को कृषिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित या आबंटित नहीं की जाएगी।]

[3][(4) जब उपधारा (1) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए पृथक् से रखी गई भूमि का, ऐसी विकास और अधोसंरचना परियोजनाओं जो राज्य सरकार के स्वामित्व की हैं या अनुमोदित हैं, किन्तु उपधारा (3) के अधीन नहीं आती है, व्यपवर्तन अपरिहार्य हो जाता है, तो कलेक्टर, उपलब्ध विकल्पों पर अपना समाधान कर लेने के पश्चात् और संबंध परियोजनाओं से उन्हीं निस्तार अधिकारों की पूर्ति करने के लिए समतुल्य क्षेत्र की भूमि अभिप्राप्त कर लेने पर भी इस आशय को तर्कसंगत आदेश पारित करते हुए, ऐसे प्रयोजन के लिए भूमि व्यपवर्तित कर सकेगा।]

संशोधन से पूर्व - दिनांक 30-12-2011 तक उपधारा (2) व (3) निम्नानुसार थी

(2) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से पृथक् रखी गई भूमियाँ, कलेक्टर की मंजूरी से ही व्यपवर्तित की जाएँगी, अन्यथा नहीं।

(3) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर, ऐसी दखलरहित भूमि को, जो उपधारा (1) के खंड (ख) में वर्णित प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई हो, उक्त प्रयोजनों के लिए उस ग्राम की कृषिक भूमि का न्यूनतम [दो] प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित रखते हुए, आबादी या कृषिक प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित कर सकेगा।

टिप्पणियाँ

अ. धारा में संशोधन
आ. संशोधित उपधारा (3) की सांविधानिक विधिमान्यता
इ. धारा की व्याप्ति
ई. शक्तियाँ प्रदत्त
उ. उपधारा (2) का स्वरूप
ऊ. निस्तार की भूमि में खनन पट्टा
ए. नियम

1 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 दिसम्बर 2011 में प्रकाशित (संशोधन) क्र. 42 सन् 2011 की धारा 34 द्वारा संहिता की धारा 237 की उपधारा (2) का लोप किया गया है।

2 [illegible] धारा 237 की उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

आवक क्र० –5958

परिशिष्ट – क

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 30–57/2011/सात/2ए भोपाल, दिनांक 04 मार्च, 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन एवं माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश की म.प्र. शासन द्वारा की जा रही अवमानना की जांच एवं कार्यवाही बाबत्।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 1132/2011, एसएलपी सिविल 3109/2011 जगपाल सिंह व अन्य विरूद्ध पंजाब राज्य व अन्य के निर्णय के संदर्भ में राजस्व विभाग द्वारा 18 मार्च, 2011 को समस्त संभागायुक्त, आयुक्त भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तथा समस्त कलेक्टर को पत्र भेजकर निर्देशित किया गया था कि माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार अवैध/अनाधिकृत आधिपत्यधारियों से भूमि खाली कराई जाकर ग्रामीणों के उपयोग हेतु संबंधित संस्था को सौंपने की कार्यवाही सुनिश्चित् की जाए। इस संबंध में पालन प्रतिवेदन भी चाहा गया था।

2/ माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.01.2011 द्वारा निम्न निर्देश दिए गए थेः–

"22. Before parting with this case we give directions to all the State Governments in the country that they should prepare schemes for eviction of illegal/unauthorized occupants of Gram Sabha/Gram Panchayat/Poramboke/Shamlat land and these must be restored to the Gram Sabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. Fro this purpose the Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the Governments. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupant, after giving him a show cause notice and a brief hearing. Long duration of such illegal occupation or huge expenditure in making constructions thereon or political connections must not be treated as a justification for condoning this illegal act or for regularizing the illegal possession. Regularization should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government notification to landless labourers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land.

23. Let a copy of this order be sent to all Chief Secretaries of all States and Union Territories in India who will ensure strict and prompt compliance of this order and submit compliance reports to this Court from time to time."